(73)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक................................ निग-1564-PBR/16

दिनांक 20-5-16 को श्री जाहिद कुरैशी अभि० द्वारा प्रस्तुत।

1. हरमुखा पुत्र सामले
निवासी ग्राम खेरिया मृत्यु तहसील व
जिला ग्वालियर

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50– न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसीरोड के प्रकरण कमांक 01/2015–16/बी 121 में पारित आदेश दिनांक 30/12/2015 से दुखित होकर प्रस्तुत ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1564–पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–12–2016	आवेदक की ओर से श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–12–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (1) के अंतर्गत अपील का प्रावधान है । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अपीलीय आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	